तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/12/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण व विपक्षीगण के वकील अनुपस्थित। विपक्षीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समय से तीन बार तीन-तीन आवाजे दिलाई गयी बावजूद आवाजे दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी से बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जारी हो पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे पत्रावली निर्णय शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

संख्या: 75/202

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्याः 75/2022

र्थीनी :–

1. मोरोदेवी पत्नी महिंगाराम
   जाति रेबारी निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पोला पुत्र दीपा
2. रूगा पुत्र दीपा
3. पूनमा पुत्र दीपा
4. जोगा पुत्र वीजा
5. देराज पुत्र दीपा
6. नोजीदेवी पत्नी पदमाराम
7. दीपीदेवी पत्नि देराजराम
   जाति मेगवाल निवासी देवड़ों की ढाणी
8. इन्द्रा पत्नी धनाराम
9. हरूराम पुत्र भगवानाराम जाति रेबारी निवासी रतनासर नेहरों का वास
10. पबुदेवी पत्नी मानाराम जाति रेबारी निवासी मोडावास तहसील गुड़ामालानी
11. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीनी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 26.12.2022

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई जबाव पेश नहीं किया गया, तीन प्रार्थना पत्र आपत्तियों के पेश किये गये जो पोषणीय नहीं होने से खारिज किये गये। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:48 IST
Reason: Self Attested

हमने प्रार्थीनी के विद्वान [illegible] श्री जगदीश विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) [illegible] हलहद मौजा रतनासर के खेत खसरा नम्बर 120/83 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीनी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीनी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र मंगले की बेरी के राजस्व रतनासर के खेत खसरा नम्बर 120/83 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26/12/21 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:48 IST
Reason: SelfAttested